(7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 31/2018 | दायर दिनांकः ~~06.09.2018~~ 06.4.2018

उनवान

1. राधेश्याम पि. लक्ष्मीनारायण जाति दांगी नि. जेताखेडी तहसील पिडावा

— वादी

बनाम

1. देवीलाल पि. घीसा जाति दांगी नि. जेताखेडी तहसील पिडावा
2. सीमाबाई पि. घीसा जाति दांगी नि. जेताखेडी तहसील पिडावा
3. धापूबाई पि. घीसा जाति दांगी नि. जेताखेडी तहसील पिडावा
4. पारीबाई पि. घीसा जाति दांगी नि. जेताखेडी तहसील पिडावा
5. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ पिडावा तहसील पिडावा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति —
वकील वादीगण — श्री सुभाष दांगी
वकील प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 — श्री मतीन खान
प्रतिवादी कम .2 — एकतरफा

निर्णय दिनांक : 14.02.2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि यह कि नकल जमाबन्दी ग्राम जेताखेडी तहसील पिड़ावा की खाता सं० 12 कुल 5 किता कुल रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमे से खसरा न. 169/295 रकबा 8 बिस्वा का विवाद है। जिसे आगे वाद में विवादीत आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। नकल जमाबन्दी संलग्न हैं। यह कि वाद के पेरा न. 1 में वर्णित आराजी खसरा न0 169/295 रकबा 8 बिस्वा वाके जेताखेडी को प्रतिवादी न. 1 लगायत 4 के पिता खातेदार श्री घीसा आ. ऑकार जाति दांगी निवासी जेताखेड़ी ने उक्त भूमि ...000/— रूपये अक्षरें तीस हजार रूपये मे वादी को बेचान ... कर दिनांक 26.02.2010 को बेचान पत्र ... अंगुठा निशानी कर कब्जा वादी को सम्भलाकर दिनांक 02.03.2010 को उपपंजीयक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पिड़ावा से उक्त भूमि का बैचान पत्र समस्त अधिकारो सहित पंजीयन वादी के पक्ष में करवाया है। तब से आज तक वादी का कब्जा काश्त भूमि खसरा न. 169/295 रकबा 8 बिस्वा, वाके जेताखेड़ी पर खातेदार टीनेन्ट की हैसियत से निरन्तर आज तक बिना किसी बाधा के सबके ज्ञान में शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। यह कि प्रतिवादीगण के पिता घीसा द्वारा उक्त भूमि बैचान कर कब्जा वादी को सम्भलाने की अच्छी तरह से पुरी जानकारी व ज्ञान प्रतिवादी न. 1 लगायत 4 को होने पर भी वादी के कब्जे काश्त की रजिस्ट्रर्ड बैचान से कय की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पीछे से उसके साथ षड्यंत्र पूर्वक छल कपट कर धोखा करने की गरज से उक्त भूमि को वैचान के बाद भी प्रतिवादी न. 5 के यहां नामान्तकरण सं. 244 दिनांक 29.11.2010 को अवैध तरिके से रहन दर्ज करवा दी है, जिसकी वादी को उक्त षड्यन्त्र की जानकारी मिलने पर विक्रेता घीसा के वारिसान प्रतिवादीगण को नोटिस दिया था, जिस पर प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को रहन मुक्त करवाकर नामान्तकरण वादी के नाम खुलाने का पूरा आश्वासन व भरोसा देने पर भी आज तक टालमटोल कर रहे है और उसकी पालना नहीं की है। जिस कारण मजबुरन वादी को दावा घोषणा खातेदारी पेश करना पड रहा है। यह कि प्रतिवादी न. 5 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर तत्कालिन शाखा प्रबन्धक, शाखा पिडावा ने भूमि खसरा न. 169/295 रकबा 8 विश्वा वाके जेताखेड़ी का मौके पर कब्जा देखे बगेर तथा उप पंजीयक कार्यालय पिड़ावा में भूमि बैचान होने की प्रोपर तरीके से सर्च किये बिना मनमाने तरिके से अवेंध रूप से वादी के साथ षड्यंत्रपूर्वक छल कपट कर घोखे से वादी के कब्जे काश्त की रजिस्ट्रर्ड खरीद शुदा कब्जे काश्त की भूमि को प्रतिवादी न. 1 से मिलकर अपने नाम रहन दर्ज करवाकर अवैधानिक कार्य कर आपराधिक कृत्य किया है। वादी की रजिस्टर्ड कय व कब्जे काश्त की भूमि को प्रतिवादी न. 5 के नाम रहन दर्ज करवाने का कोई अधिकार नहीं होने से उक्त रहन वादी के प्रति प्रारम्भ से ही शुन्य (नल एण्ड वोईड) व प्रभावहीन होने से उक्त इन्द्राज रहन रेकार्ड से हटाये जाने योग्य है। यह कि वादी की खरीद शुदा कब्जे काश्त की भूमि को प्रतिवादी न. 1 ने घीसा के नाम बताकर प्रतिवादी न. 5 के यहां रहन करने से प्रतित होता है कि प्रतिवादी न. 1 व 5 ने मिलकर वादी के साथ छल कपट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

कर धोखा करने की नियत से वादी के नाम नामा. खुलने से पूर्व ही अवैध रूप से रहन दर्ज करवाया है. जो वादी के प्रति नल एण्ड वोईड (शुन्य) है। तथा प्रतिवादी न. 5 ने अनुचित व्यापार व्यवहार प्रक्रिया अपना कर वादी की भूमि को बैंक के नाम रहन दर्ज करवाने का अवैधानिक कृत्य किया है। जिस कारण वादी के हिस्से पर अवैध तरिके से दर्ज किये रहन को शुन्य घोषित किया जाकर वादी को उक्त भूमि खसरा न. 169/295 रकबा 8 बिस्वा का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम खातेदारी मे दर्ज होने योग्य है। यह कि वादी द्वारा रजिस्ट्रर्ड कय की गई कब्जे काश्त की भूमि वाके जेताखेडी को प्रतिवादीगण के द्वारा षड्यन्त्र रचकर रहन दर्ज कराने का प्रतिवादीगण को कोई कानुनी अधिकार नही होने से वादी अपने को उक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित कराकर राजस्व रेकार्ड मे वादी अपना नाम खातेदारी मे दर्ज कराने का वेंधानिक अधिकारी है। यह कि वाद कारण दिनांक 13.03.2018 को उत्पन्न हुआ जब वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त भूमि रहन मुक्त करवाकर वादी के नाम दर्ज कराने की कहने पर टालमटोल कर इन्कार हो गये। यह कि प्रतिवादी न. 6 को लेण्ड होल्डर होने व राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दर्ज करने हेतू पक्षकार बनाया गया है। यह कि वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार में उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश हैं। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जावें की वादी की कय कब्जे शुदा भूमि ग्राम जेताखेडी की खाता सं० 12 के खसरा नं0 169/295 रकबा 8 बिस्वा पर दर्ज रहन को शुन्य घोषित कर उक्त भूमि का वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे खातेदार टीनेन्ट दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायत व हर्जा खर्चा मुकदमा भी प्रतिवादीगण से वादी को दिलाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 की ओर से यह कि वाद पत्र का पैरा नम्बर 1 मे खाता संख्या 12 कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा भुमि स्थित होना स्वीकार है तथा यह अस्वीकार है कि खसरा नं. 169/295 रकबा 08 बिस्वा भुमि विवादित है। शेष कथन अस्वीकार है। यह कि वाद पत्र का पैरा नम्बर 2 अस्वीकार है यह अस्वीकार है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

4 के पिता खातेदार श्री घीसालाल उर्फ घीसा आत्मज श्री ओंकारलाल ने खसर नम्बर 169/295 रकबा 08 बिस्वा का बैचान वादी को दिनांक 26.02.2010 को किया है और यह भी अस्वीकार गलत है कि वादी उक्त भुमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। जबकि उक्त भुमि पर प्रतिवादी कमांक 1 का कब्जा काश्त शान्ति पुर्वक बरसो से उसके पिता के जीवनकाल से ही चला आ रहा है। यह कि वाद पत्र का पैरा नम्बर 3 अस्वीकार है। यह अस्वीकार है कि प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 के पिता के वैचान की जानकारी प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 को रही हो और ना ही प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 के पिता घीसालाल ने कभी उक्त बैचान के बारे में प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 को बताया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के पिता की मृत्यु दिनांक 02.03.2014 को हुई है और वादी बेचान दिनांक 26.02.2010 का बता रहा है। इस लिहाज से वादी को प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 के पिता के जीवनकाल में ही उक्त दावा लगाना चाहीए था। लेकिन वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के पिता के जीवनकाल में कोई कानूनी कार्यवाही वाद वगैरह दायर नहीं किया और ना ही वाद ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को उक्त भुमि पर उसके पिता के जीवनकाल में कब्जा काश्त करने से रोका और ना ही वाद दायर करने से पहले रोका और ना आज तक रोका है। वादी ने प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 को दिनांक 06.04.2016 को नोटिस दिया जाना बताया। इस प्रकार वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के पिता की मृत्यु के 2 वर्ष बाद नोटिस देना बताया है और वादी ने नोटिस देने के 2 वर्ष बाद दिनांक 06.04.2018 को 2 वर्ष बाद दावा लगाया है अर्थात् वादी ने उक्त दावा बैचान के 8 वर्ष बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के पिता की मृत्यु के बाद लगाया है और उक्त बैचान को लेकर वादी ने कोई भी कानूनी कार्यवाही प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 के पिता के जीवनकाल में अमल में नहीं लाई गई है। और प्रतिवादी कमांक 1 उक्त भुमि पर उसके पिता के जीवनकाल से ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा है क्योंकि प्रतिवादी कमांक 1 के पिता [illegible] थे। इससे यह प्रतित होता है उक्त बैचान अवैध [illegible] है और प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 के हक अधिकारों पर [illegible] वाद पत्र का पैरा नम्बर 4 अस्वीकार हैं। खसरा नम्बर 169/295 रकबा 08 बिस्वा भुमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी क्रमांक 1 का कब्जा काश्त प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता के आ रहा है क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता के जीवनकाल से ही बरसों से चला आ रहा है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 के पिता बीमार रहते थे पिता द्वारा ही बैंक से लोन लिया गया था। यह कि वाद पत्र का पैरा नम्बर 5 अस्वीकार है। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 ने किसी भी प्रकार कोई आपराधिक षडयंत्र नही रचा है ना ही किसी प्रकार का छल कपट किया है। उक्त भुमि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 का नाम राजस्व रिकार्ड मे वारीसान होने से दर्ज हुआ है। यह कि बाद पत्र का पैरा नम्बर 6 अस्वीकार है। यह कि वाद पत्र का पैरा नम्बर 7 अस्वीकार है। वादी ने कभी भी प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 से उक्त बैचान के बारे में बात नहीं की और प्रतिवादी कमांक 1 अपने पिता के जीवनकाल से ही बरसों से उक्त भुमि कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। तब भी वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से उक्त भुमि यो बैचान के बारे में कोई बात नहीं की तथा वाद कारण दिनांक 13.03.2018 को उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 के पिता ने अपने जीवनकाल में वादी को भुमि का बैचान नहीं किया है। यदि किया होता तो वादी उनके जीवनकाल में ही अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा चुका होता। यह कि वाद पत्र का पैरा नम्बर ८ कानूनी होने से जवाब का मोहताज नहीं है। यह कि वाद पत्र का पैरा नम्बर 9 मे माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होना अस्वीकार है तथा शेष कथन अस्वीकार है तथा वाद की प्रार्थना अस्वीकार है। वादी किसी भी प्रकार से खाता संख्या 12 की खसरा नम्बर 169/295 रकबा 08 बिस्वा पर खातेदार टीनेन्ट घोषित होना का तथा राजस्व रिकार्ड में खातेदार टीनेन्ट दर्ज करवाने की पात्रता नही रखता है। शेष कथन विशेष आपत्तियों में दर्ज है। **विशेष आपत्तियाँ** में निवेदन किया कि वादी को प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 के पिता ने किसी भी प्रकार को बैचान नही किया है। यदि किया होता तो प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 के पिता घीसा प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 को बताते। यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के पिता घीसा बीमार रहते थे और उनकी मृत्यु भी भी दिनांक 02.03.20[illegible]राडिया ग्राम पंचायत गुराडिया तहसील सुस[illegible] हुई है और प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 के [illegible] थे। यह कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झालावाड़

वादी जिस बैचान का जिंक कर रहा है। वह उक्त बैचान दिनांक 26.02.2010 का बता रहा है और उपपंजीयक पिडावा के यहाँ दिनांक 02.03.2010 का बैचान पंजीयन वादी के पक्ष में होना बता रहा है। जिसमें भी 8 दिन का अन्तराल रहा है। यह कि प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 के पिता की मृत्यु दिनांक 02.03.2014 को हुई (मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति जवाब दावे के साथ संलग्न है)। वादी ने कथित बैचान दिनांक 26.02.2010 तथा दिनांक 02.03.2010 से लेकर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के पिता की मृत्यु दिनांक 02.03.2014 तक के अन्तराल के मध्य 4 वर्ष तक किसी भी प्रकार से कोई बाद कानूनी नोटिस कानूनी कार्यवाही तथा वाद दायर नहीं किया है। इससे यह प्रतित होता है कि वादी का बैचान पत्र अवैध है जिसकी जानकारी वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के पिता के जीवनकाल में प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 को तथा प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 के पिता को भी नहीं रही है। यह कि वादी ने प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 के पिता की मृत्यु के 4 वर्ष बाद उक्त भुमि खसरा नम्बर 169/295 रकबा 08 बिस्वा को लेकर जो दावा लगाया है वह भुमि प्रतिवादी कमांक 1 के कब्जे काश्त में बरसों से चली आ रही है। जिसकी जानकारी वादी को भी है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

3. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम फतेहगढ के खाता सं. 493 किता 16 की जमाबंदी सं. 2073–76 की प्रमाणित प्रति, ग्राम फतेहगढ की भू.प्रबंध विभाग की खाता सं. 35 किता 26 रकबा 126–02 बीघा की जमाबंदी सं. 2022–41 की प्रमाणित प्रति एवं प्रतिवादी कम 1 व वादीगण के मध्य हुये राजीनामा दिनांक 16.09.2022 की प्रति प्रस्तुत की।

4. वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 द्वारा दिनांक 16.09.2024 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। पक्षकारान की पहचान उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई। राजीनामा पत्र में निवेदन किया कि निवेदन है कि ग्राम जेताखेड़ी तहसील पिड़ावा की खसरा न. 169/295 रकबा 8 बिस्वा को हमारे पिता घीसालाल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय से वादी को करीब 14 वर्ष पूर्व पहले बैचान कर रहन मुक्त करवाकर वादी को कब्जा संभला दिया था तब

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

से वादी काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वादी को खसरा न. 169/295 रकबा 8 बिस्वा बैचान के बाद बैंक में गलत रहन करवा दी है, रहन बैचान शुदा भूमि खसरा न. 169/295 रकबा 8 बिस्वा वाके जेताखेड़ी का वादी के खाते दर्ज किया जावें। हमे कोई आपत्ति नही है। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाकर जेताखेडी की आराजी खसरा न. 169/295 रकबा 8 बिस्वा वादी राधेश्याम के खाते दर्ज किया जाकर उसका रहन शेष अन्य भूमि पर दर्ज किया जाने की कृपा करें।

5. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा ग्राम जेताखेडी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 169/295 रकबा 0–08 बीघा भूमि खातेदार घीसा पि. ओंकार जाति दांगी नि. जेताखेडी से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 02.03.2010 को तीस हजार रू. में कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और तभी से लगातार कब्जे काश्त चला आ रहा है लेकिन विकेता खातेदार ने वादग्रस्त आराजी के बेचान के बाद षडयंत्र पूर्वक तरीके से उक्त भूमि को प्रतिवादी सं. 5 स्टेट बैंक के पक्ष में नामा.सं. 244 दिनांक 29.11.2010 से रहन दर्ज करवा ली। प्रतिवादी सं. 5 ने वादग्रस्त आराजी के वास्तविक स्वामित्व एवं मौके पर कब्जे काश्त की जांच किये बिना विकेता घीसा को गैर कानूननी रूप से कृषि ऋण स्वीकृत कर भूमि रहन दर्ज कर ली गई जिसका कानूनी रूप से विकेता तथा स्टेट बैंक को कोई हक व अधिकार नहीं था।

6. अभिभाषक वादी ने आगे तर्क किया कि एक वादग्रस्त आराजी का जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र एक बार अंतरण कर भौतिक कब्जा सौप देने के बाद आगे किये जाने वाले सभी अंतरण प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध माने जावेगे। अतः विकेता घीसा द्वारा प्रतिवादी सं. 5 के पक्ष में जरिये नामा.सं. 244 किया गया अंतरण प्रारमभ से ही शून्य व विधि विरूद्ध होने से खारीज किये जाने योग्य है और वादी वादग्रस्त आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किये जाने योग्य है।

7. अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा बहस के दौरान वादी द्वारा चाहे गये अनुतोषो को स्वीकार करते हुए कथन किया गया एवं प्रतिवादी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

1 से 4 के मध्य इस न्यायालय में दिनांक 09.12.2024 को वादग्रस्त आराजी को लेकर राजीनामा हो चुका है। राजीनामा मुताबिक ग्राम जेताखेडी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 169/295 रकबा 0–08 बीघा तक वादी राधेश्याम को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर रहन को नोट प्रतिवादीगण की अन्य भूमि पर दर्ज किये जाने पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

8. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2010 के अनुसार ग्राम जेताखेडी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 169/295 रकबा 0–08 बीघा भूमि वादी राधेश्याम द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता व खातेदार घीसा पि. ओंकार से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। प्रतिवादी सं. 1 से 4 व वादी के मध्य न्यायालय में पेश एवं तस्दीक राजीनामा दिनांक 09.12.2024 के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 169/295 रकबा 0–08 बीघा भूमि को हमारे पिता घीसा द्वारा करीब 14 वर्ष पूर्व रजिस्ट्री से वादी को बेचान कर कब्जा सौप दिया था और वादी तभी से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त बेचान शुदा आराजी को वादी के खाते दर्ज किये जाने और रहन का नोट हमारी शेष भूमि पर दर्ज किये जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। वादी द्वारा पेश साक्ष्य व गवाह पीडब्ल्यू 1 राधेश्याम, पीडब्ल्यू 2 रामनारायण, पीडब्ल्यू 3 प्रभूलाल ने अपने सशपथ बयानो में स्वीकार किया है कि वादी द्वारा ग्राम जेताखेडी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 169/295 रकबा 0–08 बीघा भूमि खातेदार घीसा पि. ओकार जाति दांगी नि. जेताखेडी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2010 को तीस हजार रू. में कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और तभी से लगातार कब्जे काश्त चला आ रहा है लेकिन विकेता खातेदार ने वादग्रस्त आराजी के बेचान के बाद षडयंत्र पूर्वक तरीके से उक्त भूमि को प्रतिवादी सं. 5 स्टेट बैंक के पक्ष में नामा.सं. 244 दिनांक 29.11.2010 से रहन दर्ज करवा ली। प्रतिवादी सं. 5 ने वादग्रस्त आराजी के वास्तविक स्वामित्व एवं मौके पर कब्जे काश्त की जांच किये बिना विकेता ... गैर कानूननी रूप से कृषि ऋण स्वीकृत कर भूमि रहन दर्ज ... ली। प्रतिवादीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाह डीडब्ल्यू 1 देवीलाल, डीडब्ल्यू 2 धापूबाई व डीडब्ल्यू 3 पारीबाई ने भी अपने सशपथ बयानो में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(15)

आराजी ख.नं. 169/295 रकबा 0–08 बीघा तक वादी राधेश्याम को बेचान कर दी थी और खरीददार का ही कब्जा काश्त है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर साबित है कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता घीसा पि. ओंकार ने वादग्रस्त आराजी ख.नं. 169/295 रकबा 0–08 बीघा भूमि का बेचान वादी राधेश्याम को किया जाकर कब्जा सौप दिया था और तभी से वादी लगातार शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में चला आ रहा है। वादी को खातेदार घोषित किये जाने और रहन अन्य शेष भूमि पर दर्ज किये जाने पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 को कोई अपत्ति नहीं है।

9. वादी द्वारा पेश धारा 6 (1) रोडा एक्ट की प्रतिलिपी प्रदर्श 3 से जाहिर है कि खातेदार घीसालाल द्वारा अपने अन्य भूमि किता 4 रकबा 7–06 बीघा के साथ साथ बेचान किये गये ख.नं. 169/295 रकबा 0–08 बीघा पर भी कृषि ऋण के लिए प्रतिवादी सं. 5 के यहां दिनांक 29.02.2010 को आवेदन किया था जिसे तहसीलदार पिडावा द्वारा दिनांक 02.11.2010 को स्वामित्व व कब्जे की बिना जांच पडताल के स्वीकृत कर जरिये नामा.सं. 244 दिनांक 29.11.2010 रहन दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी सं. 5 की कानूनी जिम्मेदारी है कि किसी भी भूमि पर ऋण स्वीकृत करने से पूर्व उसके स्वामित्व व कब्जे की वास्तविक जांच रिपोर्ट लेवे लेकिन प्रतिवादी सं. 5 ऐसा करने में विफल रहा। अतः वादी की खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 169/295 पर जरिये नामा.सं. 244 दर्ज किया रहन का पश्चातवर्ती अंतरण प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध व प्रभावशून्य होने से खारीज किये जाने योग्य है। <u>जेताखेडी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 169/295 की हाल जमाबंदी दिनांक 20.12.2024 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर कोई रहन दर्ज नहीं है।</u>

10. माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा 1992 RRD 651मामले में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है– "<u>Transfer of Property Act-Section 8</u>- In a case in which a person has legally acquired khatedari rights by virtue of a registered sale deed executed in his favour prior to the execution of a subsequent registered sale deed in favour of another person- then despite the fact that entries in the Settlement of rights have been

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:16:07 IST
Reason: Sentenced

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

made in favour of the subsequent purchaser the former purchaser is entitled to the relief of being declared as lawful khatedar of the land - The subsequent purchaser acquires no rights or title in the land-1979 RRD, 1 followed"

11. माननीय राजस्व मण्डल ने सम्पतलाल बनाम कलवंतराय 2021 आरबीजे 760 में अभिनिर्धारित किया है कि "राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956– धारा 135–रुपाराम द्वारा दिनांक 04.02.1992 को रजिस्ट्रर्ड विक्रेय पत्र द्वारा भूमि रेस्पोंडेंट कलवंतराय को विक्रय कर दी थी, लेकिन रेस्पोंडेंट के नाम नामान्तरण नही हुआ। रुपाराम ने जमीन का वापिस अपीलान्ट को बैचान कर दिया। रुपाराम को रेस्पोंडेंट के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने के बाद भूमि को दुबारा बैचने का अधिकार नही था। पश्चात्वर्ती विक्रेय पत्र अवैध व शून्य है। नामान्तरण निरस्त किये गये"।

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं राजीनामा के आधार पर ग्राम जेतखेडी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 169/295 के संबंधस में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम जेताखेडी की आराजी ख.नं. 169/295 रकबा 0.1012 है. भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 के स्थान पर वादी राधेश्याम को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राजस्थान

Scanned with OKEN Scanner

(17)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 31/2018 दायर दिनांकः 06.09.2018

उनवान

1. राधेश्याम पि. लक्ष्मीनारायण जाति दांगी नि. जेताखेडी तहसील पिडावा

— वादी

बनाम

1. देवीलाल पि. घीसा जाति दांगी नि. जेताखेडी तहसील पिडावा
2. सीमाबाई पि. घीसा जाति दांगी नि. जेताखेडी तहसील पिडावा
3. धापूबाई पि. घीसा जाति दांगी नि. जेताखेडी तहसील पिडावा
4. पारीबाई पि. घीसा जाति दांगी नि. जेताखेडी तहसील पिडावा
5. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ पिडावा तहसील पिडावा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति —

वकील वादीगण — श्री सुभाष दांगी

वकील प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 — श्री मतीन खान

प्रतिवादी कम .2 — एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....x..... रूबरू.....x.....

मिनजानित मुदई रूबरू .....x.....

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम जेताखेडी की आराजी ख.नं. 169/295 रकबा 0.1012 है. भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 के स्थान पर वादी राधेश्याम को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

24/3/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(18)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह .. ....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.02.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिष्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिष्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner